

R
2-10-22

IS15700:2018



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(पी.एम.ए.वाई.-प्रकोष्ठ)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001



पत्र सं०- 3120

पी.एम.ए.वाई.-प्रकोष्ठ/2022

दिनांक 21/10/2022

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
अयोध्या/ कानपुर/ रुहेलखण्ड/ मेरठ वृत्त,
30प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
अयोध्या/ कानपुर/ मुरादाबाद/ मेरठ।

पत्रावली क्र. सं. 84
पत्रावली सं. 37
डायरी सं. 2281
दिनांक 28-10-22

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत परिषद द्वारा दिनांक 15.08.2022 से 15.10.2022 तक खोले गये पंजीकरण के उपरान्त प्राप्त आवेदनों के दृष्टिगत भवनों का निर्माण करायें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत परिषद द्वारा दिनांक 15.08.2022 से 15.10.2022 तक खोले गये पंजीकरण के उपरान्त प्राप्त आवेदनों के दृष्टिगत निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों का निर्माण करायें जाने हेतु आवास आयुक्त द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	जनपद/ परियोजना का नाम	स्वीकृत भवन	निर्माणार्थी भवन	निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन	निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित भवन	अभियुक्ति
1	गोण्डा (सिविल लाइन)	528	384	144	0	140 भवनों की निविदा स्वीकृत।
2	इटावा (स्पिनिंग मिल)	192	96	96	0	कालम-5 में दर्शाये गये भवनों के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जानी है।
3	मुरादाबाद (मझोला यो० सं०-15)	1200	240	432	528	
4	बाराबंकी (बडेल)	288	0	288	0	
5	मेरठ(जागृति विहार) सं०-8ए	816	0	672	144	

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने वृत्त के अधीन उपरिवर्णित परियोजनाओं के अन्तर्गत, पंजीकरण में प्राप्त आवेदनों का सूझा/ झूठा से वैलीडेशन कराते हुए, कालम-5 में दर्शाये गये भवनों का निर्माण प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

श्री राज प्रसाद / श्री हरी जे
FF

भवदीय
21/10/22
(एस.सी. राय)
मुख्य अभियन्ता

पू०सं०:- / उक्त / दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- निजी सचिव, आवास आयुक्त को महोदय के अवलोकनार्थ।
2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-अयोध्या-01/03/ कानपुर-03/रुहेलखण्ड-02/मेरठ-01, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या/ कानपुर/मुरादाबाद/ मेरठ।

मुख्य अभियन्ता